SHORT DURATION DISCUSSION

Situation arising out of striking down of the IMDT Act by Supreme Court (Contd.)

SHRI SILVIUS CONDPAN (Assam): Sir, I thank you very much for allowing me to take part in the short duration discussion on the situation arising out of striking down of the IMDT Act by the Supreme Court which was raised by Shri Pramod Mahajanji. First of all, I want to deal with as to why the IMDT Act was enacted and specifically notified to be implemented in Assam. I remember there was a time when a movement was going on in Assam to drive out aliens from the State. The people almost took law in their own hands. The people belonging to minority like Muslims, Bengalis Nepalis, and Hindi-speaking were given notice,

'Quit India Notice.' You know, Sir, at that time, the IMDT Act was not in force. It was done under the Foreigners Act, 1946. At that time--from my experience I say-it was enough that a SP would serve the notice to a certain person. After getting notice, that person has to quit India. A vehicle would be ready to pick him up along with his family to deport them to the boundary. And they were given time of 15 or 20 days. It was like that. Sir, During that time, these cases were take up in the civil courts and there was no tribunal. And I was handing a case, as a lawyer. From my experience, Sir, I would like to say that the people were suffering a lot. They did not have any scope, legal scope, to defend that they were not foreigners, that they were not foreigners and they were not subjected to quit from India as foreigners. So, they were taking shelter of the *munsif* court, the civil court and we were getting stay orders for them. After the stay order, what was happening to the fate of the foreigners? Sir, after the stay order, the SP, who is the competent authority under the Foreigners Act to Serve the 'Quit India' notice, he was never able to come and attend the court to substantiate the justification of his serving a notice to a person who is alleged to be a foreigner. In every district, it was happening and this was creating a real uncertainty for the people who were belonging to the Muslim community, belonging to the Bengali community, belonging to the Nepali community, belonging to the Hindi-speaking community. They were never

knowing when they were getting notice. All these things happened, Sir, and the people who were getting the notice as Bangladeshi and as Nepalese, they had the same customs and they had the same language. The Foreigners Act was during the British time and they had their own adventures as to who can be a foreigner in their regime. It was contemplated and written like that. But it was not fitting into the situation in Assam or it will not be fitting into a similar situation created in Punjab, in Rajasthan or in West Bengal, wehre these kind of problems are dealt with. Therefore, Sir, it was rightly felt necessary during the time of Indiraji that such an Act should come out where an SP or anybody who complaint that so and so is a foreigner has to come and substantiate his complaint or his information that so and so is a foreigner. So, it was felt that the IMDT Act was necessary. It was not the intention, as the hon. Member Shri Pramod Mahajan was speaking yesterday, that it was intended to protect the foreigners. It was never intended like that. But Indiraji thought, followed by Rajivji that no innocent person should be treated as a foreigner and should be deported as an animal, just sent away from the compound. It was happening like that, Sir, and to control this situation, the IMDT Act was enacted. And the IMDT Tribunals were there and thereafter, the complainants were given certain obligations that when they complain, they have a duty to establish that. It was the IMDT Tribunal that was doing it. The way our hon. friend, a very learned Member, a very senior Member, was trying to interpret that the IMDT Act was absolutely intended for defending the foreigners and dump them in our country at the cost of the Indians. This idea is absolutely baseless. I remember when this ACt was being contemplated and the Assam Accord was arrived at with the agitationists, who were agitating for driving out the aliens from Assam. So, Rajivji told the then Chief Minister, who is no more, a Congress Chief Minister Mr. Saikia, that the Assamese and other people were fully convinced that the Congress is harbouring the foreigners, arid let us drive out this idea from the mind of these people that the Congress is harbouring the foreigners for their political purpose. Therefore, this IMDT Act was enacted. Afterwards, he also told the duly elected Chief Minister, when he had two-and-a-half years to go, that you resign and go in for election and let these young people, who are thinking that Assam was getting filled up with foreigners, know what was the factual position, what was the practical thing, when they came to power and when they handled these things. So, Rajiv

Gandhiji asked the duly elected Congress Chief Minister Saikiaji to resign, and he had to resign, and there were elections in 1985. Sir, I will take one more minute. Thereafter, the Asom Gana Parishad came into power not only once, but twice, and all the police, the entire administration and the Act were at their disposal, and they have done what was really practically possible there, and they have shown on record that it was not the Congress which was trying to safeguards the foreigners in Assam. Yesterday, Pramod Mahajanji was indirectly trying to give a hint that the Congress party was trying to safeguard foreignes in Assam at the cost of the Indians in Assam. That is not the real fact. For striking down the IMDT Act, the Parliament is here, the learned people are here in the country, the Government is here, they will definitely find out the way out. The Government will definitely think about the alternative measure that we have to come forward with a legislation that will clear the doubts in the minds of the people without giving any idea that any part in power or any authority is going to protect any foreigners either in Assam or in any part of the country. Of course, Mr. Pramod Mahajan has already said yesterday that this Act was contemplated for the whole country. (Time Bell) But the situation prevailing in Assam was not obtaining in other parts of the country. That is why it was notified to be implemented in Assam only. Therefore, all the doubts, all the apprehensions that the IMDT was there only to protect the foreigners, is not a fact, and with these submissions, I object to all the apprehensions raised by the hon. Members and I would like to clarify this thing to my learned friend, Shri Pramod Mahajanji about the conception he has about the IMDT Act since its inception and its implementation. There was no intention of the Government whatsoever in Assam to protect the foreigners. Thank you very much.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, there are three more speakers who would speak on this subject. I would like to inform you that the time allocated by the Business Advisory Committee is already over. We are working extra time, and this business is to be concluded. I will request the hon. Members not to take more than three to four minutes because, there is no time left. We are working extra time. Thereafter, the Minister's reply has to be there, and he has to go to the other House because of the business there. So, I would request you to confine yourself to the time allotted so that we can complete the business of the House because, this is a carried over business.

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति जी, यहां कल से आई. एम. डी. टी. को निरस्त करने संबंधित सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा हो रही है। चर्चा के दौरान सभी के विचार सुनने के पश्चात् यह बात स्पष्ट रूप से दिखाई पडी कि जो घुसपैठिए है, उनको निश्चित रूप से सही पहचान कर उन्हें बाहर करना चाहिए। लेकिन कानून इसको कौन सा सही स्वरूप प्रदान कर सकता है, इस पर विवाद है। इसलिए मान्यवर , घुसपैठियों को बाहर करने के लिए 1983 में आई. एम. डी. टी. एक्ट बना, उसके बारे में पहले भी आशंका व्यक्त की गई थी कि जिस प्रकार का यह कानून है और कानून के अंदर जिस तरीके से प्रक्रिया अपनाई जा रही है, अपनाई गई है कि इस प्रक्रिया के माध्यम से ही पहचान की जाएगी और उस पहचान के आधार उनको बाहर किया जा सकता है, वह प्रक्रिया बडी जटिल और दुरुह थी। उसके बाद जिस ढ़ग से विदेशी घुसपैठियों को बाहर करने की जिस तरह की स्थिति निर्मित होनी चाहिए थी, वह निर्मित नहीं हो पाई , इसलिए खतरा पैदा हो गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए लोकसभा के सम्माननीय सदस्य श्री सर्वनन्दा सोनवाल जी ने याचिका दायर की थी। उसके बाद यह फैसला आया था। अदालत ने, न्यायालय ने साफ तौर पर कहा है, मान्यवर , मैं यह बताना चाहूंगा, आई. एम. डी. टी. कानून, 1983 को निरस्त करते हुए न्यायालय ने कहा है कि, " इसमें संदेह नहीं कि बड़े पैमाने पर बंगलादेशी घुसपैठयों के कारण असम बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति का सामना कर रहा है। ऐसी स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 355 के अंतर्गत बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति की स्थिति से राज्य की संरक्षा के लिए सभी उपाय करना केन्द्र सरकार का दायित्व है "। न्यायालय ने यह ऑब्जरवेशन 8 नवंबर, 1998 को वहां के तत्कालीन गवर्नर की रिपोर्ट के आधार पर किया था और उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी, वह बडी गंभीर स्थिति की तरफ चिन्हित करती है। उन्होंने असम में, लाखों की सख्यां में बगंलादेशियों की घुसपैठ पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि यदि इस प्रवृति पर अंकुश नही लगाया गया, तो इससे इस क्षेत्र की आबादी में क्षेत्रीय असंतुंलन स्थापित हो जाएगा। न्यायाधीशों ने असम में बंगलादेशियों की पहचान के लिए अवैध प्रवासी अधिकरण निर्धारण कानून 1983 और पश्चिम बगांल में इसी काम के लिए विदेशी नागरिक कानून के प्रयोग पर भी आश्चर्य व्यक्त किया है। उन्होंने इन दोनों की तुलना की है और उन्होंने बताया है कि IMDT के जरिए जिस ढंग से विदेशी घुसपैठियों को बाहर करने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए थी, इसकी दुरुहता के कारण , वह प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकी। जो प्रक्रिया पश्चिमी बगांल ने अपनाई, उसने प्रभावी तौर पर उसको लागू किया है। उन्होने तुलनात्मक तौर पर इसकी संख्या भी दी है और उन्होंने कहा कि 1983 का जो IMDT का कानून था, इसके तहत 3,10,759 मामलों में कार्यवाही शुरू की गई। कल लोगों ने इसका जिक्र किया था सिर्फ 10,015 लोग अवैध प्रवासी घोषित किए गए थे, जिनमें से केवल 1,481 बाहर किए जा सके। इसी तरीके से जो फॉरेन ऐक्ट है, उसके माध्यम से पश्चिमी बगांल में 1983 से लेकर 1998 के बीच में 4,89,046 विदेशी घुसपैठियों को बाहर किया गया।

मान्यवर, फॉरेन ऐक्ट प्रभावी है और इसके माध्यम से विदेशी घुसपैठियों को बाहर किया जा सकता है। उस फॉरेन ऐक्ट के तहत जो विदेशी घुसपैठिए है , प्रशासनिक अधिकारी , पुलिस और पूरा तंत्र उनकी सही पहचान करके बाहर करेगा। इस पर आशंका व्यक्त करना उचित नहीं होगा। यह आशंका जो बार – बार व्यक्त की जा रही है कि जो यहां के निवासी है, उनको बाहर किया जा रहा है, यह आशंका उपयुक्त नहीं है।

उपसभापति जी, मैं कहना चाहूंगा कि कल चर्चा के दौरान कुछ लोगों ने प्रमोद महाजन जी के भाषण पर यह बात कही कि सांप्रदायिकता को बढ़ाया देने का प्रयत्न किया जा रहा है । इसमें सांप्रदायिकता कहां से आ गई ? यह तो विदेशी नागरिकों का प्रश्न है। यह बात कहीं गई थी कि अगर बंगला देश से मुसलमान आता है, चूंकि वह वहां का नागरिक है, स्वाभाविक रूप से वह यहां चाहे काम करने के लिए आए, चाहे यहां अव्यवस्था और अशांति पैदा करने के लिए आए, यह निश्चित रूप से खतरनाक है और और बाहा आक्रमण के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने इसको चिन्हित किया है, लेकिन अगर वहां से हिन्दूपलायित होकर आता है, उसको वहां से आतंकित करके भेजा जाता है, तो वह शरणार्थी के रूप में आएगा, ऐसा कल कहा गया था, लेकिन इसको सांप्रदायिकता का स्वरूप प्रदान किया गया। ऐसा नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा कि यहीं आशफाकउल्लाह पैदा हुए, यहीं अब्दुल हमीद पैदा हुए, यहीं मौलाना आज़ाद पैदा हुए, यहां के लोगों ने देशभक्ति से ओत – प्रोत होकर अपने जीवन की और अपने सर्वस्व की बाजी लगाने में किसी प्रकार का संकोच नही किया है, इसलिए उनके ऊपर किसी प्रकार की अगुंली उठाने का सवाल ही खड़ा नहीं होता है , लेकिन जो विदेशी घुसपैठ है, उसके विरुध्द कार्यवाही करना, हर नागरिक का और हर सरकार का दायित्व बनता है। इस काम में IMDT विफल हुआ है। इसी विफलता को ध्यान में रखते हुए श्री राशिद अल्वी ने कल कहा कि तत्कालीन गृह मंत्री जी ने यहा कहा था कि IMDT को केवल असम में ही नहीं, पूरे देश में लागू करने की बात सोची जा सकती थी, लेकिन लागू नहीं किया गया और उसका उदाहरण अगर लेना चाहें तो पश्चिमी बगांल से ले सकते है। पश्चिमी बगांल के मुख्यमंत्री श्री बुध्ददेव भट्टाचार्य ने यह स्वयं कहा कि जिस तरीके से बंगलादेशी घुसपैठिए, पश्चिमी बगांल के अंदर आ रहे है, इससे पश्चिमी बगांल की हालत खराब हो गई है और यह बरदाश्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। स्वयं उन्होंने इस आधार पर चिंता व्यक्त की है। मैं राजनीति की बात इसलिए करता हूं कि इस समय जो सत्तारूढ़ दल है , सत्तारूढ़ दल में आपस में ही परस्पर वाद – विवादपूर्ण वक्तव्य आ रहे है। गृह राज्य मंत्री ने यह कहा कि असम में 50 लाख बंगलादेशी घुसपैठिए आए।

महामहिम राज्यपाल ने जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के अन्तर्गत, गृह मंत्री जी इसके बारे में बताएंगे, उन्होंने कहा कि 6 हजार बंगलादेशी घुसपैठिए नित्य प्रति आ रहे है। मान्यवर सरकार ने गृह

(1 P.M.)

मंत्रालय की रिपोर्ट के आधार पर कहा है कि 3 लाख बंगलादेशी घुसपैठिए यहां आए है। बाद में असम के जो मुख्यमंत्री है , उन्होंने कहा कि यह बात गलत है। गृह राज्य मंत्री जी की भी बात गलत है , महामहिम राज्यपाल जी की भी बात गलत है। मान्यवर , किसकी बात मानी जाए ? इस बात को देखने के बाद लगता है , पहले इस पर चिन्ता व्यक्त की गई थी कि इस घुसपैठ के आधार पर असम में राजनीति की जा रही है। मान्यवर , राजनीति इसलिए की जा रही है कि कल जैसा कि चिन्हित किया गया कि असम के अन्दर 13 जिले ऐसे है, जिसमें प्रभावी तौर पर बंगलादेशी घुसपैठिए आ रहे है। कुछ लोग मिल कर बाकायदा उनका राशन कार्ड , उनका पासपोर्ट तक बनवा कर, उनका मतदाता सूची में नाम डलवा कर, उनको वहीं के निवासी है , इस प्रकार का कार्य करने की कोशिश की जा रही है। उनका अपना राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयत्न किया जा रहा है। मान्यवर, मैं यह बताना चाहूंगा कि एक तरह से जनसंख्यात्मक तौर पर भी असंतुलन पैदा हो गया है और ऐसा असंतुलन पैदा हो गया कि जो आबादी का प्रतिशत बढ़ा है , आमतौर पर आबादी का प्रतिशत 17.5 प्रतिशत बढ़ा, लेकिन कुछ जिले ऐसे है, जिनमें 28 फिसदी से ज्यादा आबादी का प्रतिशत बढ़ गया। यह इस बात को प्रकट करता है कि ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : आप ज़रा समाप्त कीजिए।

श्री कलराज मिश्र : निश्चित रूप से बंगलादेशी घुसपैठिए इस ढंग से आए है, जो यहां पर आकर अव्यवस्था और अशांति की स्थिति का निर्माण कर रहे है। मान्यवर, इतना ही नही इसके कारण एक और बडी भयंकर स्थिति का निर्माण हुआ है। बंगलादेश में जैसी स्थिति का निर्माण हुआ है, बंगलादेश इस समय जिस ढंग से व्यवहार कर रहा है, अभी वहां कई जिलों में विस्फोट हुआ तो उन्होंने भारत पर आरोप लगा दिया। अभी इसके पहले जो बंगलादेश के विदेश सचिव और भारत के विदेश सचिव ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : कलराज जी, आप ज़रा समाप्त कीजिए।

श्री कलराज मिश्र : मैं एक मिनट के अन्दर समाप्त करता हूं। इनकी जो वार्ता हुई, वार्ता के अन्दर विभिन्न मुद्दे थे, इसमें एक मुद्दा यह भी था कि घुसपैठ को कैसे रोका जाए और वहां फेंसिंग आदि की दृष्टि से जो बात की गई थी, उसको बढ़ाया जाए, तो वहां के विदेश सचिव ने कहा कि हम इसे नही मानते। मान्यवर , यह बंगलादेश की नीयत को भी बता रहा है। दुष्परिणाम यह हो रहा है कि यहां लगभग 25 कट्टर इस्लामिक आतंकवादी संगठन पूरे देश में फैल रहे है। इसलिए मान्यवर ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : आप बोल रहे हैं ना ...(**व्यवधान**)... आज़मी साहब, आप इसके ऊपर बोल रहे है, अगर आप नहीं बोलना चाहें , तो अलग बात है । ...(**व्यवधान**)... आप बोलिए ।

श्री कलराज मिश्र : मान्यवर, मैं जो बोल रहा हूं , वह बकायदा सर्वेक्षण के आधार पर जो रिपोर्ट आई है, उसके आधार पर बोल रहा हूं । ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : आप समाप्त कीजिए ।

श्री कलराज मिश्र : महोदय, इसे रोकने की जरूरत है । मैं किसी एक सम्प्रदाय विशेष पर आरोप नहीं लगा रहा हूं । आतंकवादी संगठनों को जो बल मिल रहा है, इस घुसपैठ के कारण भी मिल रहा है । मान्यवर, इसलिए ऊपर से यह बाह्य आक्रमण के रूप में दिखाई पड़ रहा है और अन्दर इस प्रकार के सगंठनों का विस्तार आन्तरिक सुरक्षा को खतरा पैदा कर रहा है । इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि 355 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार को अपने दायित्व का जिस ढंग से निर्वहन करना चाहिए, केन्द्र सरकार उसका निर्वहन नहीं कर पाई है । मान्यवर, बीएसएफ की तरफ से एक रिपोर्ट आई है कि जिस तरीके से घुसपैठ हो रही है, उसमें बढ़ोतरी होती जा रही है । मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, उस फैसले को मान्य स्वीकार करते हुए, उस फैसले को इस ढंग से स्वीकार करते हुए संसद ने भले ही पास कर दिया होगा,संसद ने भले ही आईएमडीटी का कानून बना दिया होगा, लेकिन इतने वर्षो के बाद जिस ढंग का स्वरूप निर्माण हुआ है और जो सूचनांए आई है ,उस आब्जर्वेशन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है , उस फैसले को गाइडलाइन के रूप में स्वीकार करते हुए केन्द्र सरकार उस तरह का व्यवहार करे, यही मैं सदन से अनुनय करता हूं, विनय करता हूं । धन्यावाद ।

श्री उपसभापति : श्री द्विजेन्द्र नाथ शर्मा । बाकी लोग जो कह चुके है, आप उसे रिपीट मत कीजिए । उस में काफी समय जाता है ।

SHRI DWIJENDRA NATH SHARMAH (Assam): Sir, I will not repeat these points. Since yesterday, we have been listening to this debate very carefully. I am happy that most of the Members have expressed concern about the situation in Assam. I have listened very carefully to the points raised by Shri Pramod Mahajan. He rightly said that we should not play politics on the issue of infiltrators and should identify the infiltrators with proof. I have quoted this from the speech made by Shri Pramod Mahajan yesterday. Sir, the IMDT Act was enacted under certain special circumstances in 1983 at the initiative of late Shrimati

Indira Gandhi, after the liberation of Bangladesh. In 1983, there was a very serious situation in Assam — do not want to elaborate on that — which prompted us to enact such a law so that these infiltrators, illegal migrants could be detected by a judicial procedure which was not available under the Foreigners Act. For identification and detection of infiltrators or illegal migrants, notice can be issued by the police only under the Foreigners Act! Looking into the serious situation, at that time, this legal procedure was adopted for detecting and deporting the foreigners from Assam. There are certain examples; there are certain prominent examples. As my colleagues have just now asked, "Why was this Act enacted?" I would like to cite certain examples about persons to whom notices were issued at that time. The people of Assam are proud of Syed Abdul Mallick, ex-President of Assam Sahitya Sabha, who was also a Member of this House. We are proud of him. A notice was issued to him as a foreigner because he was a Muslim. We are proud of Parbeen Sultana, who is a famous singer. She was also issued notice as a foreigner. There is a famous 900 years history of Shah Syed Nuruddin Ahmed. The family of Peer Saheb of Jaleswar was issued a notice at that time, as foreigner.

SHRI PRAMOD MAHAJAN (Maharashtra): Under which Act?

SHRI DWIJENDRA NATH SHARMAH: Under the Foreigners Act. Sir, these are two-three examples which I have cited here which substantiated, at that time, as to why the legal procedure was necessary. I believe this Act was enacted because of this background. Today, we are very happy that Shri Pramod Mahajan has raised certain things and said that we should go beyond politics. Sir, Assam is passing through a very crucial time since 1979. We should keep certain things beyond politics because it is a border State. It is facing peculiar problems. There is a problem of insurgency for a long time. The people of Assam are suffering from these problems. I say this very carefully, frankly and with all seriousness that we are not at all supporters of foreigners, whether they are Bangladeshis or they are from any other country. We do not want any foreigner to remain in Assam. Sir, an Accord was signed on 15th August, 1985, by the then Prime Minister, our beloved leader, Rajivji with the State leaders, the All Assam Students Union and the Governor of Assam. Shri Rajiv Gandhi, at that time, went to that extent that he sacrificed the office of the State Government of Assam—

the Congress (I) was in power at that time in Assam. He said, "Let the Government go; let there be peace and let us have an Accord." On that basis, on 15th August, Shri Rajiv Gandhi signed that Accord, and Shri Rajiv Gandhi could prove that there was no politics behind them. Now what has been raised by some of the hon. Members from the Opposition benches is that the Congress (I) is playing politics, that it is after the vote bank. Sir, it is totally false. This party is for a legal procedure for detecting and deporting foreigners from Assam. At that time, Rajiyji could prove that he was beyond politics, that he wanted peace in Assam, and that is why, the Assam Accord was signed at that time. That was the time when Rajiyji thought that we must protect the Indian citizens in Assam, that in the name of foreigners, no Indians should be harassed. That was the basic idea of the Congress (I) party at that time, which we supported it. It is a fact. Now, the Judgement of the Supreme Court is with us. We have gone through it. Many things have been referred to which I don't totally subscribe...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Sharmah, please conclude. The Home Minister has to go to the other House.

SHRI DWIJENDRA NATH SHARMAH: On the judgement aspect, we have regard for the Supreme Court, and we will accept it. But, Sir, what is the situation today in Assam? There is a fear psychosis amongst the genuine Indian citizens. They should be protected. I would like to suggest certain things. Sir, you have pointed out the time factor, and I don't want to take much time of the House. I am only urging upon the Government that for the protection of minorities, for the protection of genuine Indian citizens, there should be certain safeguards so that they don't feel that they are in danger, that they are being harassed in spite of Indian citizens. That should not happen. Now, in view of the Supreme Court's judgement, I believe, a Group of Ministers would be constituted I hope that this Group of Ministers will be able to examine and see how we can build up confidence in them that they will not be harassed. Already the State Government has taken certain measures. The. State Government has specifically instructed the District Administration that they should not be harassed in the name of foreigners. Sir, the formation of Tribunal under the Foreigners Act should be speedily implemented.

श्री उपसभापति : शर्मा जी , आप खत्म कीजिए । ...(**व्यवधान**)...

SHRI DWIJENDRA NATH SHARMAH: Sir, upgrading of the National Register of Citizens on the basis of the 1971 voters' list should also be started. This should be updated.

Then, as regards protection of border...

श्री उपसभापति : आप कन्क्लूड करते हुए बॉर्डर तक चले गए । आप कन्क्लूड कर रहे थे । ...(**व्यवधान**)....

SHRI DWIJENDRA NATH SHARMAH: Sir, the border should be protected. In the last 20 years, we have not been in a position to complete the fencing in the Indo-Bangladesh border. So, this should be speedily implemented in such a manner that no infiltrators can come over to Assam and settle here. These are the major things today which the people of Assam want. I am an Assamese, and I am not as apprehensive as what Mr. Pranab Mukherjee or the other Members of the Opposition have expressed. I am surprised to hear what they said. During their six years' rule, they have not done it. And, today, this UPA Government has already started the process. A tripartite discussion was started by the hon. Prime Minister. This tripartite discussion was started by the hon. Prime Minister with the AASU leaders for the first time in 21 years to call for the review of the Assam Accord.

With these words, Sir, I conclude.

श्री उपसभापति : मौलाना ओबैदुल्लाह खान आज़मी । आपको शेर बोलने के लिए परमिट किया गया है , उससे ज्यादा कुछ न कहें ।

मौलाना ओबैदुल्लाह खान आज़मी (मध्य प्रदेश) **:** सर, ।

हिंद को नाज है जिस पर, वह निशानी हम है ।
ताज और लाल किला के यहां बानी हम है ।

सर, शेर ही के लिए परमिट किया है , तो सुन लीजिए । इस लफ्ज " हम " को मैं जरा सा क्लीयर भी करना चाहूंगा । इस मुल्क में दो बडी कौम है , एक का नाम है हिन्दू और दूसरे का नाम है मुसलमान । मुल्क जब गुलाम हुआ, इन्हीं दोनों की जंग से और मुल्क को हमारे हिन्दू, मुस्लिम पूर्वजों ने आजाद कराने के लिए जिस ताकत का इस्तेमाल किया, वह इन दोनों की एकता थी । हिन्दू शुरू होता है " ह " से, मुसलमान शुरू होता है " म " से । उधर से "ह" निकाला और इधर से "म" निकाला, मिलाकर "हम" बनाया , आजाद हिन्दुस्तान बना । हम बन कर रहेंगे, हिन्दुस्तान बना रहेगा ।

सर, अब अगर आप सुनना चाहते है, तो कुछ थोड़ा सा नसर में भी सुन लीजिए।

مولانا عبیداللہ خان اعظمی "مدھیہ پردیش" : سر،

ہند کو ناز ہے جس پر، وہ نشانی ہو ہیں

تاج اور لال قلعہ کے بانی ہم ہیں

سر، شعر ہی کے لئے پرمٹ کیا ہے، تو سن لیجئے- اس لفظ 'ہم' کو میں ذرا ساکلیئر بھی چاہوگا- اس ملک میں دوبڑی قوم ہیں، ایک کا نام ہے ہندو اور دوسرے کا نام ہے مسلمان- ملک جب غلام ہوا،ا نہی دونوں کی جنگ سے اور ملک کو ہمارے ہندو ، مسلم پروجو ں نے آزاد کرانے کے لئے جس طاقت کا استعمال کیا ، وہ ان دونوں کی ایکتا تھی- ہندو شروع ہوتا ہے، 'ہ' سے اور مسلمان شروع ہوتا ہے 'م' سے- ادھر سے 'ہ' نکالا اور ادھر سے 'م' نکالا ، ملا کر "ہم" بنایا ، آزاد ہندوستان بنا- ہم بن کر رہیں گے، ہندوستان بنا رہےگا- سر، اب اگر آپ سننا چاہتے ہیں،تو کچھ تھوڑا سا نثر میں بھی سن لیجیئے-

श्री उपसभापति : नही, नहीं। मैं अर्ज कर रहा हूं , तो आप खत्म कीजिए।

मौलाना ओबैदुल्लाह खान आज़मी सर, दो जुमले तो कह दूं। शेर पढ़ने का क्या मतलब हुआ? मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूं , आप इजाजत कर दें तो।

مولانا عبیداللہ خان اعظمی: سر، دو جملے تو کہہ دوں- شعر پڑھنے کا کیا مطلب ہوا؟ میں تھوڑا سا عرض کر دوں ، آپ اجازت کر دیں تو-

श्री उपसभापति : नही, सब यहां समझते है।

मौलाना ओबैदुल्लाह खान आज़मी : सब लोग समझते है? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सब मुझसे ज्यादा समझदार है, क्यों नहीं समझेंगें ? मैं इस खुशफहमी में नहीं हूं कि लोग नहीं समझते है।

सर, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे मुल्क में बाहर से आने वाले लोगों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने आईएमडीटी एक्ट वर्ष 1983 में बनाया था। उसको सुप्रीम कोर्ट ने मनसूख कर दिया। साफ – सीधी बात यह है कि इसमें न किसी राजनीति की बात है और न किसी दोहरे

†Transliteration of Urdu Script.

चरित्र की बात है । सीधी बात यह है कि आजाद हिन्दुस्तान में जितने लोग भी हिन्दुस्तानी शहरी है , उनका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो , किसी भी जाति – बिरादरी से हो , किसी भी कम्युनिटी से हो, हमारे देश का महान संविधान उन्हें बराबरी के साथ , इज़्ज़त – आबरू के साथ जिंदा रहने, तरक्की करने और एक भारतीय नागरिक के रुप में जीने और मरने की इजाजत देता है ।

सर, हिन्दुस्तान में बहस सुबे से मुत्तालिक यह चल रही है कि उसमें कुछ घुसपैठिए आ जाते है और उन घुसपैठिए को निकालने की जरूरत है । बहुत सारी बहस हो चुकी है, मैं वह बहस नहीं करना चाहता । मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो लोग मुल्क में अफरा – तफरी मचाते है , दूसरे मुल्कों से चले आते है, चाहे वे बंगलादेश से आ जाएं या पाकिस्तान से आ जाएं , नेपाल से आ जाएं , बर्मा से आ जाएं, कहीं से भी आ जाएं , उनको देश के बाहर निकाला जाना चाहिए इसलिए जरूरी है कि देश के अपने खुद मसायल और प्रोब्लम है , अपनी जनता और अपने लोगों का इंतजाम हम सही तरीके से नहीं कर पा रहे है, बाहर के आदमियों का इंतजाम क्या करेंगे । दूसरी बत, मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी कलराज मिश्र जी ने फरमाया कि इस्लामिक आतंकवादी आ जाते है । देखिए, कोई भी मजहब आंतकवाद नहीं सिखलाता है और किसी भी मजहब के नाम से जोड़कर ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए । आप मुस्लिम आतंकवादी कहिए, मुसलमानों में अगर कोई आतंकवादी है, सिख आतंकवादी कहिए, सिखों में अगर कोई मजहब के साथ इस लफ्ज को जोड़कर , मेरे ख्याल से बात करना शायद मैं उनकी नियत पर , आप रेस्पेक्टेड लीडर है, मेरे बड़े भाई है, ...(**व्यवधान**)...

مولانا عبیداللہ خان اعظمی: سب لوگ سمجھتے ہیں، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے- سب مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، کیوں نہیں سمجھیں گے؟ میں اس خوش فہمی میں نہیں ہوں کہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں-

سر، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں باہر سے آنے والے لوگوں کو روکنے کے لئے گورنمنٹ نے آئی ایم- ٹی- ڈی- ایکٹ سال سن ١٩٨٣ میں بنایا تھا- اس کو سپریم کورٹ نے منسوخ کر دیا- صاف سیدھی بات یہ ہے کہ اس میں نہ کسی راج نیتی کی بات ہے اور نہ کسی دوہرے چرتر کی بات ہے- سیدھی بات یہ ہے کہ آزاد ہندوستان میں جتنے لوگ بھی ہندوستانی شہری ہیں، ان کا تعلق کسی بھی مزہب سے ہو، کسی ذات برادری سے ہو، کسی بھی کمیونٹی سے ہو، ہمارے دیش کا مہان سنودھان انہیں برابری کے ساتھ،عزت آبرو کے ساتھ زندہ رہنے ، ترقی کرنے اور ایک بھارتی ناگر ک کے روپ میں اور مرنے کی اجازت دیتا ہے

†Transliteration of Urdu Script.

سر، ہندوستان میں بحث صوبہ آسام سے متعلق یہ چل رہی ہے کہ اس میں کچھ گھس پیٹھیے آجاتے ہیں اور ان گھس پیٹھیوں کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری بحث ہو چکی ہے، میں وہ بحث نہیں کرنا چاہتا۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ ملک میں افراتفری مچاتے ہیں، دوسرے ملکوں سے چلے آتے ہیں، چاہے وہ بنگلہ دیش سے آجائیں یا پاکستان سے آجائیں، نیپال سے آجائیں، کہیں سے بھی آجائیں، ان کو دیش کے باہر نکالا جانا اس لئے ضروری ہے کہ دیش کے اپنے خودمسائل اور پرا بلم ہیں ، اپنے لوگوں کا انتظام ہم صحیح طریقے سے نہیں کر پارہے ہیں، باہر کے آدمیوں کا انتظام کیا کریں گے۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی کلراج مشراجی نے فرمایا کہ اسلامک آتنک وادی آجاتے ہیں۔ دیکھئے کوئی بھی مزہب آتنک واد نہیں سکھلاتا ہے اور کسی بھی مزہب کے نام سے جوڑ کرایسا نہیں کہا جانا چاہئے۔ آپ مسلم آتنک وادی کہئے، مسلمانوں میں اگر کوئی آتنک وادی ہے ، سکھ آتنک وادی کہئے،سکھوں میں اگر کوئی آتنک وادی ہے اور ہندوستان ہے اور ہندو آتنک وادی کہئے، ہندؤں میں اگر کوئی آتنک وادی ہے، مگر کسی مزہب کے ساتھ اس لفظ کو جوڑ کر، میرے خیال سے بات کرنا شاید میں ان کی نیت پر، آپ ریسپیکٹڈ لیڈر رہیں، میرے بڑے بھائی ہیں ...مداخلت...

श्री एस. एस. अहलुवालिया (झारखंड) **:** सर, मैं इसमें एक संशोधन यह करना चाहूंगा, न हिन्दूकहिए, न मुसलमान कहिए, न सिख कहिए, आतंकवादी आतंकवादी होते है ।

मौलाना ओबैदुल्लाह खान आज़मी : बहुत अच्छी बात है । वेलकम है । मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं । देखिए , हम सब हिन्दुस्तानी है । ...(**व्यवधान**)...

مولانا عبیداللہ خان اعظمی: بہت اچھی بات ہے۔ ویلکم ہے۔ میں اس لئے عرض کر رہاہوں۔ دیکھئے، ہم ہندوستانی ہیں۔ ...مداخلت...

श्री एस. एस. अहलुवालिया : आतंकवादी की न कोई जात है , न जमात है, न जाति है न धर्म है । आतंकवाद अपने आप में ही एक धारण है ।

मौलाना ओबैदुल्लाह खान आज़मी : पक्की बात है , आतंकवाद का किसी मजहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और मैं समझता हूं कि किसी मजहब के साथ उसको जोड़ा ही नहीं जाना चाहिए । वह तो खुद ही एक लामजहबीयत की दलील है । तो मैं यह अर्ज कर रहां हूं , जैसाकि हमारे साथियों ने आशंकाएं व्यक्त की है कि जो असल हिन्दुस्तानी शहरी हैं , उन हिन्दुस्तानी शहरियों के तहफफुज की भरपूर गारंटी होनी चाहिए । जैसा कि अभी हमारे भाई, जो

असम से आते है उन्होंने बतलाया कि जितने हमारे लोग शहरी थे, उनको विदेशी होने का नोटिस दे दिया गया। मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं हैं कि हम हिफाजत करेंगे तो उसके बाद भी लोग अपने खेल नहीं खेलेंगे। जिस तरह से बाहर वाले आकर देश में खेल खेलते है, देश को नुकसान होता है, वैसे ही कानून के नाम पर हमारे लोग जो खेल खेलते है, इससे भी देश को नुकसान होता है। देशवासियो को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। रही यह बात कि बंगलादेश से मुस्लिम आते है तो घुसपैठिए आते है और हिन्दूआते है तो शरणार्थी आते है , ऐसी कोई बात नहीं है। मुसलमानों को भी मारकर वहां से भगाया जा सकता है, भगाया ही जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हिन्दूआए या मुस्लिम आए, कोई भी आए, अगर बाहर से कोई आदमी गैर – कानूनी तौर पर हमारे देश में घुसपैठिए की शक्ल में आता है, तो उसकी सही शिनाख्त होनी चाहिए। घुसपैठिए के नाम पर जेन्युअन लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए और देशवासियों से उनका हक नहीं छीनना चाहिए।

आखिर में , मैं होम मिनिस्टर साहब से गुज़ारिश करूंगा कि आप इस सिलसिले में फॉरेन एक्ट में अगर कोई तरमीम हो सकती है, तो तरमीम कीजिए या कोई नया कानून बनाकर हिन्दुस्तानी शहरियों के तहफफुज की गांरटी दीजिए। शुक्रिया।

مولانا عبیداللہ خان اعظمی: پکی بات ہے، آتنی واد کا کسی مزحب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں، کہ کسی مزہب کے ساتھ اس کو جوڑ ا ہی نہیں جانا چاہئے- وہ تو خود ہی ایک لامزہبیت کی دلیل ہے- تو میں یہ عرض کر رہا ہوں ، جیسا کہ ہمارے ساتھیوں نے آشنکائیں ظاہر کی ہیں کہ اصل ہندوستانی شہری ہیں، ان ہندوستانی شہریوں کے تحفظ کی بھر پور گارنٹی ہونی چاہئے- جیسا کہ ابھی ہمارے بھائی ، جو آسم سے آتے ہیں انہوں نے بتلایا ، کہ جتنے ہمارے لوگ شہری تھے، ان کو ودیشی ہونے کا نوٹس دے دیا گیا- میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ہفاظت کریں گے تو اس کے بعد بھی لوگ اپنے کھیل نہیں کھیلیں گے- جس طرح سے باہر والے آکر دیش میں کھیل کھیلتے ہیں، دیش کو نقصان ہو تا ہے، ویسے ہی قانون کے نام پر ہمارے لوگ جو کھیل کھیلتے ہیں ، اس سے بھی دیش کو نقصان ہو تا ہے- دیش واسیوں کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہئے- رہی یہ بات کہ بنگلہ دیش سے مسلم آتے ہیں تو گھس پیٹھئے آتے ہیں اور ہندو آتے ہین تو شرنارتھی آتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے- مسلمانوں کو بھی مار کر وہاں سے بھگایا جا سکتا ہے، بھگایا ہی جاتا ہے- میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندو آئے یہ مسلم آئے، کوئی بھی آئے،

†Transliteration of Urdu Script.

اگر باہر سے کوئی آدمی غیر قانونی طور پر ہمارے دیش میں گھس پیٹھئے کی شکل میں آتا ہے، تو اس کی صحیح شناخت ہوئی چاہئے۔ گھس پیٹھئے کے نام پر جینون لوکوں لوگوں کو پریشان نہیں کیا جانا چاہئے اور دیش واسیوں سے ان کا حق نہیں چھیننا چاہئے۔

آخر میں ہوم منسٹر صاحب سے گزارش کرونگا کہ آپ اس سلسلے میں فارین ایکٹ میں اگر کوئی ترمیم ہو سکتی ہے، تو ترمیم کیجئے یا کوئی نیا قانون بنا کر ہندوستانی شہریوں کے تحفظ کی گارنٹی دیجئے۔ شکریہ۔

"ختم شد"

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Trivediji, just seek clarifications from the hon. Minister.

SHRI DINESH TRIVEDI (West Bengal): Sir, I will not take more than two minutes. This is a very, very important issue that we have talked about. Obaidullahji mentioned about the Hindu and the Muslim in grants. I would say उनकी सबसे बडी पहचान है इंडियन । सवाल यही है,that those who are Indians and ones who are not Indians, foreigners, I don't think there is any other *pehchan.* Sir, there are two issues. One is, if the Supreme Court has given the judgement, obviously, they have deliberated on all things. The clarification which I would like to seek from the hon. Home Minister is, the Registrar General of India had undertaken a pilot project in the border-areas. Just to give an example of Murshidabad area, they have found'that 90.6 per cent population has no documents to prove that they are Indian citizens. Sir, this is just one of the eye-openers which was taken by the Registrar General of India, officially. So, this is just one pilot project which has proved this. Sir, we have also found that there are people living there, have documents, they are registered voters in Bangladesh and in West Bengal both.

Sir, lastly, this has reached an alarming proportion that we are concerned over these so-called illegitimate migrants are influencing not only the Legislative Assemblies but also the Parliament of India, and, I think something needs to be done on a war-footing. Thank you very much, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the hon. Home Minister.

श्री कमाल अख्तर (उत्तर प्रदेश) **:** डिप्टी चेयरमैन साहब, ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : आपकी पार्टी से इस पर थे ...(**व्यवधान**)... देखिए, पहले न आपने नाम दिया है, न आपकी पार्टी ने नाम दिया है । ...(**व्यवधान**)... देखिए, आप कोआपरेट कीजिए ।

श्री कमाल अख्तर : हम लोगों को तो टाइम ही नहीं मिलता । ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : दिया है ।

श्री कमाल अख्तर : सर, हम लोगों को तो टाइम ही नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता ।

श्री उपसभापति : देखिए , यह सवाल ...(**व्यवधान**)... आप बैठिए । ...(**व्यवधान**)... यह सवाल आप अपनी पार्टी से पूछिए, मुझे मत पूछिए क्योंकि आपको टाइम देना या नही देना, आपकी पार्टी के व्हिप की जिम्मेदारी है, यह चेयर की जिम्मेदारी नहीं है ।

[**उपसभाध्यक्ष** (**श्री दिनेश त्रिवेदी**) पीठासीन हुए ।]

गृह मंत्री (**श्री शिवराज वी. पाटिल**): श्रीमन् , कल और आज, जो चर्चा यहां पर हुई , उस चर्चा से कुछ मुद्दे उभरकर आए है, उन्हीं मुद्दों के संबंध में सरकार की ओर से मैं स्पष्टीकरण देना चाहूंगा । पहला मुद्दा, जो चर्चा में निकलकर आया है, वह यह है कि IMDT एक्ट क्यों बना और इस संबध में बहुत सारे सदस्यों ने अपने भाषणों में बताया है कि IMDT एक्ट क्यों बना । अभी एक सदस्य यहां पर पूछ रहे थे, उपसभाध्यक्ष जी , आप ही पूछ रहे थे कि 99 परसैंट लोगों के पास डाकूमेंट नहीं हैं कि वे बताएं कि इस मुल्क के हैं या दूसरे मुल्क के है । अगर ऐसी परिस्थिति हो जाती है, तो किसी भी आदमी को पकड़ा जा सकता है और कहा जा सकता है कि तुम बाहर के देश के हो, निकल जाओ । अगर वह बंगला भाषा बोल रहा है और किसी एक मज़हब का है तो उसको पकड़कर कहा जा सकता है कि आप चले जाओ । इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को तकलीफें हुई, इसीलिए आईएमडीटी एक्ट बनाया गया । आईएमडीटी एक्ट बनाकर यह कहा गया था कि जो आदमी यह कहता है कि दूसरा आदमी किसी और देश का है, उसको भी यह बताना पड़ेगा कि उसके पास यह सिध्द करने के लिए क्या सबूत है कि वह व्यक्ति बाहर के देश का है । इसी वजह से आईएमडीटी एक्ट को बनाया गया था, इसका और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं था । इससे ज्यादा मैं इसके संबंध में नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि आईएमडीटी एक्ट बना, इतने दिन तक रहा और पिछली जो एनडीए की सरकार थी, उसके ज़माने में भी यह रहा, उनके ज़माने में भी इसे रिपील नहीं किया गया था, उसके नीचे जो रूल्स बने है, वे रूल्स भी बदले हुए नहीं थे । ऐसा कहा गया कि रिपील करने के लिए हमारे पास जो मताधिक्य होना चाहिए, वह नहीं है, इसीलिए इसे रिपील नही किया गया, लेकिन मैं कहूंगा कि बहुत सारे कानून पास हुए, अगर करना ही था तो इसे भी कर सकते थे और रूल को बदलने के लिए तो मेजौरिटी की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसके बावजूद भी वह नहीं हुआ है । इसका मतलब यह है कि पिछली सरकार को भी यह पता था कि यह कानून बिना वजह के नही बनाया गया है , उसके पीछे कोई रीजन है, उद्देश्य है और उस उद्देश्य के होने की वजह से इसे आसानी से नहीं हटाया जाना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूं ।

श्री प्रमोद महाजन : पिछली सरकार ने रिपील नहीं किया, आप यह आरोप तो लगा सकते है, यह आपका अधिकार है, लेकिन पिछली सरकार रिपील करने में असमर्थ रही, मैं उसके कारणों की मीमांसा में नहीं जाता, उन्होंने रिपील बिल दिया, मैं उसमें भी नहीं जाऊंगा, लेकिन कृपा करके आप ऎसा न कहिए । पिछली सरकार ने शायद जल्दी रिपील नहीं किया क्योंकि उन्हें आईएमडीटी में बहुत गुण दिखाई दे रहे थे, इसलिए इस प्रकार का आरोप आप पिछली सरकार पर मत लगाइए । मैं इसका प्रमाणपत्र भी देता हूं कि वर्ष 2000 में ही जब उच्चतम न्यायालय में सर्वानन्द सोनवाल की याचिका दाखिल हुई थी तब पहले दिन से ही एनडीए सरकार ने उस याचिका को सपोर्ट करके यह कहा था कि यह बिल, यह रिपील एक्ट होना चाहिए । हमे राज्य सभा में बहुमत प्राप्त नहीं है, इसलिए हम नहीं करते, यह सच नहीं है । सुप्रीम कोर्ट अगर इसे रिपील करना चाहती है, तो वह जरूर करे और इसलिए वर्ष 2000 के डॉकुमेंटरी एविडेन्स हैं कि एनडीए सरकार आईएमडीटी के पक्ष में नहीं थी । आपके कहने से कही यह अर्थ निकल रहा है कि शायद वे पक्ष में होंगे , इसलिए मुझे यह कहना है कि यह केवल आपकी कल्पना है, यह सत्य नहीं है ।

श्री शिवराज वी. पाटिल : आप मान लीजिए कि आपने जो कहा वही सत्य है । मैंने आरोप नहीं लगाया था, मैंने तो केवल यह कहा था कि आपकी सदभावना की वजह से ही आप यह कर रहे थे, लेकिन इसका आपके पास क्या जवाब है कि आपने रूल्स भी नहीं बदले, जिसके लिए आपको मेजॉरिटी की जरूरत नहीं थी ।

श्री राशिद अल्वी (आन्ध्र प्रदेश) **:** लेकिन क्या पोटा की ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रमोद महाजन : श्री राशिद जी , होम मिनिस्टर बैठे है, वे अपने आप में समर्थ है ।

श्री शिवराज वी. पाटिल : रूल्स बदलने के लिए तो मेजॉरिटी की आवश्यकता नहीं थी, रूल्स तो एग्जीक्यूटिव आर्डर से ही बदलते है, तब भी नहीं बदले थे । इसलिए हम समझ रहे हैं कि आपने ये सदभावना की वजह से ही नहीं बदले थे । यह मेरा आरोप है कि ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रमोद महाजन : अगर मैं सुप्रीम कोर्ट में यह एफीडेविट दे रहा हूं कि मैं इस लॉ के खिलाफ हूं, फिर भी आप कह रहे है कि हम पक्ष में थे ।

श्री शिवराज वी. पाटिल : जी हां ।

श्री प्रमोद महाजन : फिर तो आप राजा है, आप कुछ भी कह सकते है ।

श्री शिवराज वी. पाटिल : यहां राजा का मतलब नहीं है, यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में कानून बनाने या रिपील करने का काम नहीं होता है, कानून बनाने और रिपील करने का काम पार्लियामेन्ट में होता है और वह कार्य सरकार की तरफ से होता है। दूसरी बात यह है कि आप दूसरे इतने और कानून बना सके तो इसमें आप कोई कदम क्यों नहीं उठा सके? मैं कोई दोष नहीं लगा रहा हूं , मैं केवल इतना ही बताने की कोशिश कर रहा हूं , जैसे कि एक

सम्माननीय सदस्य ने और जो चेयर पर बैठे है, उपसभापति जी ने बताया कि 99 प्रतिशत लोगों के पास अगर बताने के लिए कागजात नहीं है तो क्या होगा, यह बताने के लिए तो पढ़े – लिखे लोगों के पास भी कागजात नहीं होंगे। आप किसी के पास भी यदि जाकर पूछें कि आपके पास यह बताने के लिए क्या कागज है कि आप इसी देश के बाशिंदे हो, तो वह निकाल कर नहीं बता सकेगा। इसी वजह से यह कानून बनाया था। मैं सिर्फ इतनी ही कह रहा हूं कि यह कानून जिसने भी बनाया था, उसके उद्देश्य पर आप शंका मत कीजिए। उन्होंने इसे इसलिए बनाया था कि लोगों को जो तकलीफ हो रही है, वह न हो और इसीलिए उन्होंने इस कानून को बनाया था। इस कानून को वोट इत्यादि के लिए नहीं बनाया गया था, वे तो सब पॉलिटिक्स की बाते है जो चलती रहती है, लेकिन इसका उद्देश्य वह नही था। लोग कानून बनाने से मिलते है, ऐसा नही है और कितने ही लोग कोर्ट में भी जाते है , पकड़े जाते है, इसलिए यह बात ऐसी नहीं है। लोगों को तो मालूम भी नहीं होगा कि आईएमडीटी एक्ट क्या है, मुस्लिम भाइयों को भी यह मालूम नहीं होगा कि यहां पर आईएमडीटी एक्ट क्या है। इसलिए उसके संबंध में मैं केवल इतना हीं कहना चाहता हूं , लेकिन आज तो इसका कोई सवाल हीं नहीं रहा है। यह तो कोर्ट ने कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आईएमडीटी एक्ट अल्ट्रावायरस कंस्टीटयूशनली नल एंड वोइड तो हो ही गया है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के संबंध में बहुत सारी चर्चाएं बाहर भी हुई है, यहां भी हुई है, मैं सरकार की ओर से इतना कहना चाहता हूं कि हमारा एक दृष्टीकोण रहा है शुरुआत से ही कि जो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होती है, उसका हम आदर करें। इस जजमेंट का भी हम आदर जरूर करेंगे। इस जजमेंट को हम नहीं कहेंगे कि यह गलत है अगर कहना है तो हम अपील में जाएंगे, रिविजन में जाएंगे, रिव्यू पिटिशन करके करेंगे। मगर बाहर आकर सदन में या सदन के बाहर हम नही करेंगे और न ऐसा करना चाहिए और हम भी नहीं करने जा रहे है। सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा हैउसके ऊपर हम अमल करेंगे। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने ? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फॉरेनर्स एक्ट के नीचे जितने ट्रिब्यूनल आज बने है, उनसे ज्यादा ट्रिब्यूनल बनाइए और जो केसेज है उनमें ले जाइए और जो निर्णय लेने है आप ले लीजिए। पहले असम में दो कानून लागू थे ,एक तो फॉरेनर्स एक्ट था और आई.एम.डी.टी. एक्ट था और दोनों कानूनों के नीचे भी ट्रिब्यूनल्स थे और ट्रिब्यूनल में केस चल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने यह आई.एम.डी.टी. एक्ट के नीचे जो ट्रिब्यूनल बने है उनका जो ज्युरिशडिक्शन है वह निकाल लीजिए और यही काम फॉरेनर्स एक्ट के नीचे ट्रिब्यूनल बनाकर आप काम करवा लीजिए, ऐसा उन्होंने कहा है। उसके ऊपर हम अमल जरूर करने जा रहे है और उसके लिए प्रांतीय सरकार से भी हमारे पास कुछ लैटर्स आए हुए है। वे कहते है कि 21 ट्रिब्यूनल बनाने चाहिए, हम उनको बनाकर दे देंगे। वह कार्रवाई शुरु होगी। उसका हम विरोध नही करते। मगर हमने यह भी जाना है और इस सदन के अंदर भी कहा गया है और बाहर भी कहा गया है कि लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारे पास यह जजमेंट

आने के पश्चात यहां पर बताया गया कि कुछ लोगों ने बहुत खुशी मनाई और कुछ लोगों ने नाराजगी जाहिर की। बहुत सारे लोगों ने हमारे पास अपने रिप्रजेंटेशन भेजे है, एप्लीकेशंस भेजी है और हमको कहा कि आई. एम. डी. टी. ऍक्ट जाने की वजह से कोई भी हमको पकड़ लेगा और कहेगा कि बताओ, तुम इस देश के वाशिन्दे हो तो ठीक है अन्यथा चले जाओ बाहर और इसकी वजह से हमको तकलीफ होने जा रही है। अभी कहा गया और इस सदन में कहा गया कि सरकार कि ओर से नहीं, मगर एक जिम्मेदार सदस्य की ओर से कहा गया है कि 99 परसेंट लोगों के पास, दिल्ली में रहने वाले लोगों के पास , हमारे जैसे लोगों के पास भी बताने के लिए कोई डोक्यूमेंट नही होता। तो जो आकर बोलता है तुम बाहर के देश के हो तो उसको भी बताना पड़ेगा कि यह क्यों बाहर के देश का है। इस प्रकार का प्रेजेंटेशन हमारे पास आया हुआ है। एक का नही है, सदन में कहा गया है , बाहर न्यूज पेपर में यह बात कहीं गई है, असम में तो कही जा रही है, वेस्ट बंगाल में कही गई है और यहां बहुत सारे वेस्ट बंगाल से आए हुए भाई, उन्होंने यहां पर भाषण किया, आपने सुना है उनके भाषण को। यह नही है कि उनको बाहर के देश से जितना भी आना चाहते है उनको आने दीजिए, रहने दीजिए, हम लोग उनकी सेवा करेंगे, हम लोग उनकी मदद करेंगे, ऐसा उद्देश्य नही था। मगर सिर्फ बंगला भाषा बोलने वाले आदमी को पकड़ कर निकालने की कोई कोशिश कर रहा है या किसी एक खास जमात का है, धर्म का है, उसको निकालने की कोशिश कर रहा है तो क्या वह न्याय होगा? यह न्याय नहीं होगा। ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। इसलिए जब हमारे सामने यह बात आई कि इस पर क्या करना चाहिए तो हमने कहा कि इसके ऊपर हम सोचेंगे और जो भी हमको कदम उठाने जरूरी हों , ताकि ऐसे लोगों को तकलीफ न हो, वे चीजें हम करेंगे और यह जिम्मेदारी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को दे दी है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स क्यों बना, यह प्रश्न यहां पर उठाया गया। इसलिए बना, मैंने पहले कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, उसके मुताबिक हम काम करेंगे। दूसरी बात मैं यह कह रहा हूं कि अगर उसकी वजह से निरपराध लोगों को, इन्नोसेंट लोगों को अगर कोई तकलीफ हो रही है तो उसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। आई. एम. डी. टी. ऍक्ट नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पर हम अमल करते समय निर्पराध लोगों की तकलीफ हम किस प्रकार से दुरुस्त करते है, इस पर भी सजेशंस दिए गए। फॉर्नर्स एक्ट में तबदीली कीजिए या दूसरे किसी एक्ट में , सिटिज़ंस एक्ट में कोई फेर – बदल करना है तो कीजिए या तीसरा कोई एक्ट बनाएं – ऐसे सजेशंस यहां पर दिए गए है। मगर ऐसा करने से उसका क्या असर होने वाला है, इसको हम पूरी तरह से देखना चाहते है, वह करना चाहते है। हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, इधर बैठने वाले लोगों की जिम्मेदारी है , सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई भी , जो यहां का शहरी है या नागरिक है, सिटिज़न है, उसको कोई तकलीफ न हो – यह देखने की हमारी जिम्मेदारी है और वह जिम्मेदारी निभाने के लिए ही ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यहां पर बनाया गया है। यह पूछा जा रहा है कि आप क्या करेंगे? हमें बताइए

कि क्या आप नया कानून बनाएंगे? क्या सिटिज़ंस एक्ट में तबदीली करेंगे या फॉर्नर्स एक्ट में तबदीली करेंगे या और कुछ करेंगे ? इसके बारे में हम जवाब , पूरी तरह से सोच – विचार करने के बाद , ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ से करने के बाद , सरकार के पास जाने के बाद बनाएंगे । हम इतना ही कहेंगे । मैं बार- बार रिपीट कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, उसको गलत समझकर बाजू हटाने का उद्देश्य नही है मगर उसके साथ – साथ यहां पर जो हमारे भाई है, वे किसी भी धर्म या जाति के हों, उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई वजह न होते हुए तकलीफ नहीं होनी चाहिए – ये दोनों चीजें हम अपनी आंखों के सामने रखकर , इसके ऊपर नीति बनाएंगे और वह नीति शायद आपके सामने भी बाद में चर्चा के लिए आ सकती है । मैं समझता हूं कि यह जो चर्चा यहां पर की गयी है – एक आई. एम. डी. टी. एक्ट था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द किया – यह उद्देश्य इस चर्चा का था, मगर इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य चर्चा शुरू करने वाले माननीय सदस्य का शायद यह था कि हमारे यहां पर अगर बाहर से लोग आ रहे है, इल्लीगली यहां पर आ रहे है तो उनकी वजह से यहां की आंतरिक कानून – व्यवस्था पर बुरा असर नहीं होना चाहिए और हमारी जो Sovereignty है, उसके ऊपर बुरा असर नहीं होना चाहिए, यह चिंता शायद उनके मन में थी, इसीलिए वे इसे लेकर आए – ऐसा समझकर मैं इसका जवाब देना चाहता हूं । अगर किसी ने ऐसा सोचा है तो वह गलत सोचा है, यह मैं नहीं कहूंगा । इसके बारे में हम क्या करने जा रहे है, वह मैं आपको बताना चाहता हूं । मगर वह बताने से पहले एक और चीज़ मैं यहां पर सारे सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं और वह यह है कि हम यह समझ रहे है कि वहां से बहुत लोग यहां पर आ रहे है और एक ही जगह पर बस रहे है तथा उसकी वजह से वहां की डेमोग्राफी बदलने जा रही है, क्या यह बात सही है? लोग आए हुए है तो वे सिर्फ एक साल में आए नहीं है या पिछले छः साल और एक यह साल, सात साल में आए हुए नहीं है , वे पचास वर्ष में आए हुए लोग है, शायद उससे भी पहले आए हुए लोग है । किसी ने तो मुझे कहा कि जब से संसार चल रहा है, तब से पहाड़ो से लोग निकलकर – जहां पर नदी होती है, जहां पर अनाज उगाया जाता है – वहां जाते है । जहां पर भी झाडी – पहाडी है, वहां से निकलकर लोग ब्रहापुत्र के प्लेन्स में जाकर , वहां पर बसने की कोशिश कर रहे है, उस वक्त से भी शायद यह काम चल रहा हो । मगर यह समझना कि वे लोग सिर्फ एक साल के अंदर आए हैं या पांच साल में आए है ...(**व्यवधान**)...

श्री रुद्रनारायण पाणि (उडीसा) **:** बंगलादेश तो प्लेन एरिया है । ...(**व्यवधान**)...

श्री शिवराज वी. पाटिल : मैं यह कह रहा था कि ये लोग आए हुए हैं तो सिर्फ एक की जगह पर बसे हुए है, ऐसा नहीं है । अगर आए हुए हैं तो बिखरे हुए हैं । मुम्बई के लोग भी उसके

बारे में – मैं बॉम्बे नहीं बोल रहा हूं , आज मुम्बई बोल रहा हूं – मुम्बई के लोग भी कहते है कि वहां पर है , दिल्ली के लोग भी कहते हैं कि यहां पर हैं , दूसरी जगह के लोग भी कहते हैं कि वहां पर हैं । इस प्रकार एक ही जगह पर कंसन्ट्रेट हुआ है , यह मानना गलत है । यह डेमोग्राफी वहां पर बदलने वाली है, ऐसा समझना गलत है – ऐसा नहीं हुआ, यह गलत है । मैं आपको फिर यह बताना चाहता हूं कि कोई अगर समझता होगा कि कुछ लोगों को अपने देश में भेजकर वहां की डेमोग्राफी बदलकर उस एरिया पर अपना हक जताएं, हमारे देश के बाजू का कोई देश ऐसा कुछ कर सकेगा, तो वह नहीं हो सकेगा । वह गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता है , ऐसा होने नहीं दिया जाएगा । मैं तो कहना चाहता हूं और बडी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि ऐसी चीज़ लड़ाई के माध्यम से नहीं होगी, ऐसी चीज़ आतंकवाद के माध्यम से नहीं होगी और ऐसी चीज़ कुछ ही लोगों को यहां पर भेजकर नहीं होने दी जाएगी । हम होने नहीं देंगे, इतनी ताकत है हमारे पास, इसलिए इसके बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मगर जब हम यह कहते हैं तो क्या होता है? लोगों के मन में बिना वजह का डर पैदा हो जाता है । कहा जाता है कि हमारे देश का यह हिस्सा भी चला जा रहा है, इस वजह से जा रहा हैं । यह डर पैदा करने की जो बात है और जब जिम्मेदार व्यक्ति , वह भी जब सदन में बोले , बाहर बोले, टी. वी. के सामने बोले, समाचार – पत्र में बोले तो उसका असर तो लोगों के मन पर होगा ही, कि हमारे देश का एक हिस्सा ऐसे कटता जा रहा है, ऐसे बंटता जा रहा है, ऐसा डर उनके मन में पैदा होता है । यह करना हमारे देश के हित में है क्या, मैं इतना ही कहना चाहता हूं ।

महोदय, sovereignty और इंटिग्रिटी में इस नेशनल इंटिग्रिटी को हम किस प्रकार से करना चाहते हैं इसके बारे में आपने पूछा है और मेरी जिम्मेदारी है कि इसके बारे में मैं आपको जवाब दूं । हमारा यह कहना नहीं है कि वहां पर कोई भी नहीं आ रहा है । कुछ लोग आते हैं तो उनको पकड़ने की हमारी जिम्मेदारी है । जो भी सरकार हो, उसकी जिम्मेदारी है । ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रमोद महाजन : सर, कुछ अनुमान है कि कितने लोग आए होंगे ?

श्री शिवराज वी. पाटिल : मैं exact नंबर तो नहीं दे सकता मगर जितना लोग कह रहे हैं कि आ रहे हैं , वह ठीक बात नहीं है । बिलकुल एक भी नहीं आ रहा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं , मगर मैं जरूर कह रहा हूं कि ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रमोद महाजन : एक – दो से तो वैसे भी फर्क नही पड़ेगा ।

श्री शिवराज वी. पाटिल : मैं यह ज़रूर कह रहा हूं कि जिस प्रकार से यह बात लोगों के सामने रखकर उनके मन में एक डर की भावना पैदा हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है, उतना

नही है, मगर जितने भी लोग आ रहे है, उनको रोकने के लिए ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रमोद महाजन : सर, कोई अनुमान हैं कि इस देश में कितने विदेशी घुसपैठिए आए हैं और उनमें असल में कितने हैं ? कोई तो अनुमान होगा !

श्री शिवराज वी. पाटिल : देखिए, मैं आकड़ों में नहीं जा रहा हूं। मैं आपको इसका अंदाजा दे रहा हूं। अगर आंकड़े दिए तो फिर कोई कहेगा ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रमोद महाजन : मैंने कल बता दिए थे।

श्री शिवराज वी. पाटिल : आंकड़े दिए तो आप कहेंगे कि आपको अगर आंकड़े मालूम हैं तो आप उनको पकड़कर बाहर क्यों नहीं भेज रहे है? अगर मैंने ज्यादा आंकड़े दिए तो बोलेंगे कि हमारी बात तो सही हो गई और अगर कम दे दिए तो ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रमोद महाजन : सर, आप ज्यादा या कम मत दीजिए। जितना सही है, उतना ही दीजिए।

श्री शिवराज वी. पाटिल : हां, मैं वही कह रहा हूं। मैं वही कह रहा हूं कि जैसा यहां पर बताया जा रहा है, वैसा नहीं है मगर जो भी है, उसको रोकने के लिए क्या कर सकते है, मेरा दायित्व है। मैं उसको यहां पर निभाना चाहता हूं और मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने इस संबंध में यह जो चर्चा यहां पर की है, यह बडी सार्थक है। उसके बारे में हम गलतफहमी अपने मन में लेकर नहीं जाना चाहते हैं। कोई भी नागरिक हो और जिम्मेदार नागरिक को तो ज्यादा मालूम होता है, तो यह जो ऐसी चर्चा की गई यहां पर, उसके लिए हमको बुरा नही मानना चाहिए। हमें उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि जहां तक कुछ सजेशन्स कुछ सदस्यों की तरफ से आए हैं, वे सही है। एक सजेशन ऐसा था कि वहां पर जो फेसिंग है, बाड़ जो बनाई गई है, वह बाड़ बनाने का काम आप जल्दी से जल्दी कीजिए और पूरा कीजिए। यह सही बात है और उस काम में हम लगे हुए हैं। यह बाड़ वहां पर तैयार करने का काम बहुत दिन पहले शुरू हुआ था मगर पश्चिम क्षेत्र की फेसिंग हमने पहले कर दी और पूर्व की जो सीमाएं हैं , उस पर बाड़ बनाने का काम हम अब कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि साल – डेढ़ साल के अंदर हम यह काम पूरा कर लेंगे। आधे से ज्यादा काम हो चुका है मगर साल – डेढ़ साल के अंदर इसको पूरा कर लेंगे। इसके अंदर एक और बात हैं और वह यह है कि जो पुराना फेंस था, वह कमज़ोर है और उसमें जो चीजें होनी

चाहिए जैसे फलड लाइटस की व्यवस्था नहीं है, सेंसर्स उसमें नहीं लगे हुए हैं – ये काम भी हम पूरी तरह से कर देंगे और जो आज है, उसको दुरुस्त करके जो छोटे है, उनको ऊंचा बनाएंगे, चौड़ा बनाएंगे और उसमें जो कुछ भी करना है, एक्सपर्ट जैसा बताएंगे, उस प्रकार से बाड़ का काम हम साल – डेढ़ साल में पूरा कर देंगे, ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूं। इनकी चर्चा हुई और बहुत अच्छी चर्चा हुई, आपने यहां पर सवाल उठाया तो हम भी अपने ऑफिसर भाइयों को कह सकते हैं कि देखो, इसकी चर्चा हो रही है, अब काम पर लग जाइए। हमको एक मॉरेल सपोर्ट आपसे मिल जाता है। दूसरी बात यहां पर यह कही गई है , ...(**व्यवधान**)...

SHRI DWIJENDRA NATH SHARMAH: What about riverine area?

SHRI SHIVRAJ V. PAUL: I am coming one-by-one. दूसरी बात यहां पर कही गई है कि यह रिवराइन एरिया है और बार्डर के रास्ते से ही लोग नहीं आते, बल्कि रिवर से भी लोग आते है। हमने उसके कुछ कदम उठाए हैं। एक कदम यह उठाया है कि पहले ही हमने वहां पर फलोटिगं बी. ओ. पी. लगाए हैं , अब और ज्यादा लगा रहे है। अगली बात यह है कि जहां पर बी. ओ. पी. इस्तेमाल में नहीं आ पा रहे हैं , वहां पर ऊंचाई से कुछ पिलर्स बनाकर , हम उस रिवर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अगली बात यह है कि उनको हम बोटस देना चाहते हैं। अगली बात यह है कि वहां पर जो पुलिस का इंतजाम है, उसको हम इस तरह से करना चाहते हैं कि वह वहां पर ज्यादा इफेक्टिव हो। यह जो रिवराइन एरिया है, हम इसको इस प्रकार से प्रोटेक्ट करने जा रहे है और हम समझते है कि इसमें भी हमको काफी मदद मिलेगी। यहां पर जो अगली बात कही गई है, वह आइडेंटिटी कार्ड देने की बात कही गई है। आइडेंटिटी कार्ड देने से यह पता चलेगा कि कौन भारतीय है और कौन भारतीय नहीं है। हम यह काम बहुत जोर से और बहुत ही जल्दी करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसके लिए कुछ पायलेट प्रोजेक्टस लिए गए थे, वे पायलेट प्रोजेक्टस बार्डर स्टेट में और बार्डर एरियाज़ में ही लागू किए गए हैं। आइडेंटिटी कार्ड देने का काम बहुत महत्वपूर्ण है, हम वह काम कर रहे हैं। इस बारे में कुछ लोगों के अलग – अलग ख्याल हैं। वे कहते हैं कि मल्टीपरपज आईडेंटिटी कार्ड दे दीजिए। जिसकी वजह से वह वोटिंग भी कर सकेगा, राशन भी ले सकेगा, ट्रेवल भी कर सकेगा तथा और दूसरी चीजें भी कर सकेगा। फिर उसके अंदर इलैक्ट्रोनिक्स चिप्स भी लगे होने चाहिएं। ये सारी चीजें बार – बार अलग – अलग हिस्सों से तथा और अलग – अलग तरीकों से हमारे सामने आ रही हैं मगर हम यह चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आइडेंटिटी कार्ड देने का काम हो जाए। यह आइडेंटिटी कार्ड देने का काम ज्यादा सोफिस्टीकेटिड न हो। हम यह आडेंटेटी

कार्ड देने का काम कर रहे हैं मैं समझता हूं कि इस काम को हम जल्दी से जल्दी पूरा कर सकेंगे। अगली जो चीज है, वह यह है कि हमारी बी.एस.एफ. की फोर्सेज , बार्डर सिक्युरिटी फोर्सेज ज्यादा संख्या में है। उनकी जो पोस्ट्स हैं, वे वहां 30 किलोमीटर के अंतर पर हैं , इसलिए वे इसको अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करते है। यहां पर 70 किलोमीटर के अंतर पर है , जिसकी वजह से प्रोटेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, यह बात बिल्कुल सही है। हम इसको ध्यान में रख रहे है। हमारे पास जितनी फोर्सेज हैं , अलग – अलग जगहों पर फोर्सेज होने की वजह से, अगर कहीं दूसरी जगह से फोर्सेज लाकर हम यहां खडी कर दें तो मुश्किल हो जाती है। इसलिए हम इसको देख रहे है और दूसरी बटालियस बढ़ाकर , हम बी. एस. एफ. की बटालियन्स भी बढ़ा रहे है और इस काम को करने की कोशिश कर रहे है। दूसरी जगहों से, जहां से हम ला सकते हैं और यहां रख सकते हैं, हम वह करने की कोशिश कर रहे हैं। आजू – बाजू की स्टेट गवर्नमेंटस की भी हम मदद कर रहे हैं और बटालियंस खडी करने की वजह से, उन बटालियन का उपयोग हम बार्डर पर भी कर सकेंगे। मैं आपको संक्षेप में यह बता रहा हूं कि इस प्रकार से हमारा काम चल रहा है। डिप्लोमेटिक लेवल पर भी इसकी काफी चर्चा होती है।...(**व्यवधान**)...

श्री प्रमोद महाजन : बार – बार असम के मुख्य मंत्री IMDT एक्ट रिपील होने के बावजूद यह कह रहे हैं कि मैं एनआरसी अपडेट करुंगा। इससे असम में बड़ा कंफ्यूजन है कि एनआरसी पहले हैं कहां , जो कि ओरिजनल एनआरसी है, जिसको अप – डेट किया जाएगा। एनआरसी अपडेट करना राज्य सरकार का काम नहीं है, यह तो केन्द्र सरकार में सेंसेस डिपार्टमेंट में आता है, तो यह जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स है, इसके बारे में निश्चित रूप से असम में क्या हो रहा है?

श्री शिवराज वी. पाटिल : यह बात तो अभी मेरे सामने आई नही है, न ही चीफ मिनिस्टर की तरफ से आई है , और न ही हमारे रजिस्ट्रेशन आफिस से मेरे सामने आई है। वे क्या बोल रहे है, उसके बारे में पूरा समझकर करना है। जिसकी जिम्मेवारी है, उसी को करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट नही करती है , फाइनल स्टेप हमको ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रमोद महाजन : हमारे पास पूरे देश में आजादी के बाद कोई एनआरसी तो था नहीं। एनआरसी बनाने का काम विशेष परिस्थितियों के कारण जम्मू – कश्मीर और असम में शुरू हुआ और वह 1966 तक चलता रहा। लेकिन उसके बाद वे एनआरसी के कागज पुलिस स्टेशन में गए और बाद में वे कहां गए कुछ पता नहीं। असम के नागरिक मांग कर रहे है कि एनआरसी बनाकर अपडेट करिए। अभी तो जवाब आप बाद में भी दे सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि

मुख्य मंत्री जी बार- बार कह रहे है कि मैं करूंगा , इससे लोगों का पता नहीं चल रहा है। आप इस पर ध्यान दें।

श्री शिवराज वी. पाटिल : मैं इस पर जरूर ध्यान दूंगा और ऐसे ही मुद्दों पर यहां पर चर्चा होनी चाहिए। हम इस पर जरूर ध्यान देंगे। यह कौन कर सकता है, कैसे करना है , कितना हुआ है, यह सब देखकर करेंगे। मगर इस बारे में कहां चर्चा हुई ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रमोद महाजन : एन. आर. सी. और आईडेंटिटी कार्ड साथ – साथ जाएगा तो असम में समाधान होगा, नहीं तो बहुत बार ऐसा होगा कि आईडेंटिटी कार्ड है, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। यह कभी – कभी हम अनुभव करते हैं, ऐसा न हो तो अच्छा हो।

श्री शिवराज वी. पाटिल : यह बात हो सकती है , क्योंकि यह जो सेंसस है, वोटिंग के लिए सेंसस है, जो वोटर लिस्ट बनती है, उसमें और आईडेंटिटी कार्ड में बहुत जगह पर फर्क दिखाई दिया है। यह किस प्रकार से काम कर रहे हैं , किस प्रकार से यह लिस्ट छप रही है, इस पर भी विचार है। गवर्नमेंट की तरफ से छपी लिस्ट, प्राइवेट सेक्टर में नहीं है, वह वोट नहीं कर सका, ऐसे सवाल जरूर आए हैं। मगर हमें जब आईडेंटिटी कार्ड देना है तो हमें बताना पड़ेगा कि यह गांव है, इस गांव में इतने लोग रहते हैं, इस नाम के हैं, एक घर में इतने रहते हैं, यह सब करना पड़ेगा। वे एक – दूसरे से संबंधित है। इसकी गहराई में मैं आज नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन यह अच्छी बात है और हम इसे जरूर ध्यान में रखेंगे। मैं सिर्फ दो चीजों पर बोलकर अपना वक्तव्य पूर्ण करना चाहूंगा और वह यह है कि मैंने कह दिया है कि आई. एम. डीटी. एक्ट लोगों की मदद करने के लिए बना था, कोर्ट ने कहा कि वह अल्ट्रावायर्स ऑफ कांस्टीटयूशन है , तो वह आज स्टेच्यूट बुक पर नहीं है। इस चर्चा के अंदर यह कहा गया कि बार्डर पर अच्छा इंतजाम होना चाहिए ताकि बाहर के देशों के लोग हमारे देश में न आएं। इसमें मुझे कोई शिकायत नहीं है, मगर कभी – कभी , माफ करना, कभी – कभी मुझे ऐसा लगता है कि इस इश्यू को किसलिए उठाया जा रहा है। आई. एम. डीटी. एक्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया है, इसके बाद भी उसकी चर्चा। क्यों? क्या उद्देश्य है? अगर इसका उद्देश्य है, जिन्होंने यहां चर्चा उठाई , उनका उद्देश्य होगा, ऐसी मेरी शिकायत नहीं है, कम्पलेन्ट नहीं है, मगर कभी – कभी हमारे दिमाग में आता है इसकी इतनी चर्चा किसलिए? मगर कभी – कभी हमें लगता है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है इसकी इतनी चर्चा किसलिए? मगर कभी – कभी हमें लगता है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे

समाज में जो अलग – अलग धर्मो के लोग हैं, उन्हें बांटकर , कुछ धर्मों के लोगों को अपने साथ में लेकर हमारी राजकीय ताकत बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए । फिर ऐसे इश्यूज उठाए जाते है, जब ऐसा इश्यू उठाया जाता है, मैं नम्रता से कहना चाहता हूं कि यहां पर कहा गया कि अगर हिंदु आया तो रिफ्यूजी है और मुस्लिम आया तो इल्लिगल माइग्रेन्ट है । ऐसा दृष्टिकोण सरकार कैसे रख सकती है, समाज कैसे रख सकता है ।

श्री प्रमोद महाजन : मनमोहन जी ने सदन में माना है ।

श्री शिवराज वी. पाटिल : इसी बात से यह बात स्पष्ट हो रही है कि किस उद्देश्य से इस प्रकार की चर्चा यहां कराई गई है ।

श्री प्रमोद महाजन : पंडित नेहरू का गोपनाथ बारदोले को लैटर है । उससे इन्होंने इस बात को ...(**व्यवधान**)...

श्री शिवराज वी. पाटिल : इसी वजह से ...(**व्यवधान**)... कोई भी आए और किसी भी धर्म का हो, आने के बाद , आपको उसे यहां रहने की इज़ाजत देनी है तो दे दीजिए, मगर हिंदू को देंगे, मुसलमान को नही देंगे, क्या यह न्याय होगा । जो यहां आ रहे हैं, किसलिए आ रहे हैं, इसके बारे में भी थोड़ा – बहुत सोचने की जरूरत है । अगर में कहूं , तो गलत नहीं होगा कि वे लोग जो यहां पर आते हैं या हमारे लोग जो बाहर जाते है, वे किसलिए जाते हैं ? वे कमाई के लिए जाते हैं ।

श्री प्रमोद महाजन : मंत्री जी, आप कल थे नहीं । हमारे देश के जो लोग बाहर जाते हैं, वे वीजा और परमिट के अंदर लीगली जाते हैं और यहां लोग घुसते हैं ...(**व्यवधान**)... आप जैसे बुध्दिमान को यह समझना चाहिए ...(**व्यवधान**)...

श्री रुद्रनारायण पाणि : ये क्या कर रहे हैं ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री दिनेश त्रिवेदी) : मंत्री जी उस पर यील्ड कर रहे है ...(**व्यवधान**)... पाणि जी, आप बैठ जाइए ...(**व्यवधान**)...

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Sir, there is a legal migrant and there is an illegal migrant. *(Interruptions)...*

उपसभाध्यक्ष (श्री दिनेश त्रिवेदी) : मंत्री जी, अगर आप यील्ड कर रहे है तभी इनको परमिशन दूंगा वरना आप चुप ...(**व्यवधान**)...

श्री शिवराज वी. पाटिल : इस प्रकार की चर्चा से मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है । मुझे चांस नही मिल पाया एक्सप्लेन करने का । मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है । उनका जो दृष्टिकोण है, उसे वे सामने रखें, मुझे इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है । मैं यह कह रहा था कि क्या ऎसा दृष्टिकोण हम ले सकते है, क्या ऎसा दृष्टिकोण लेना हमारे देश के लिए मौज होगा, दुरुस्त होगा, इसके बारे में सोचना पड़ेगा । अगर हमारे देश को और समाज को बड़ा बनाना है, तो क्या उसको हम बांटकर बड़ा बना सकते है? क्या हम एक धर्म के लोगों को, दूसरे धर्म के लोगों से अलग करके, बांट करके, समाज को बड़ा बना सकते है? ज्यों ही आप ऎसी भावना का निर्माण कर देंगे कि हमारे साथ सौतेले भाई जैसा व्यवहार किया जा रहा है, उसी वक्त आपका देश कमज़ोर हो जाएगा और यहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कायम करने में दिक्कतें पैदा होंगी । हमारी विनती यह है कि बाकी सारी चीजें हम मान लेते है, लेकिन माफ कीजिएगा, अगर यहां कोई बंदूक लेकर किसी ऎसी जगह पर जाता है, जहां पर वैसे काम करने से समाज बंटता है, तो वह बात गलत है, मगर ऎसा ही दृष्टिकोण रखकर अगर हम इसके बारे में चर्चा करें, तो क्या वह बात सही हो सकती है? हमारी एक ही रिक्वैस्ट है कि इसमें से यह चीज निकलकर नहीं आनी चाहिए कि हम किसी धर्म विशेष के खिलाफ कोई चीज उठाने के लिए, इस प्रकार की चर्चा यहां पर या बाहर कर रहे है । ऎसा विचार यहां पर लोगों के मन में नहीं आना चाहिए । अगर वह विचार आ गया, तो यह चर्चा करने का आपका जो अच्छा उद्देश्य था, वह उद्देश्य कमज़ोर हो जाएगा, उसमें आप यहां जो प्रैस करना चाहते थे, वह नहीं हो पाएगा ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यहां पर जो चर्चा हुई है, उससे मुझे कोई शिकायत नहीं है । बहुत अच्छे मुद्दे यहां पर उठाए गए है, एकाध दृष्टिकोण ऎसा हो सकता है, जिस पर मेरे अलग विचार हैं और दूसरे भाइयों के भी विचार अलग हो सकते हैं । चर्चा बहुत अच्छी है, लेकिन हमारी विनती यह है कि अगर इस देश को बड़ा बनाना है, यहां कानून और सुव्यवस्था बनाए रखनी है, यहां की आर्थिक परिस्थिति सुधारनी है, यहां का सांस्कृतिक स्तर बढ़ाना है और अगर इस देश को दूसरे देशों के बराबर चलने की ताकत वाला बनाना है, तो सबसे पहली जरूरत एकता की है । एकता की वजह से हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, एकता की वजह से हम स्वतंत्रता को टिकाए रख सकेंगे और अगर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर या किसी एक प्रकार के विचार के नाम पर इसको बांटने की कोशिश होगी, तो उससे न कानून और व्यवस्था रहेगी और न आर्थिक उन्नति होगी । इसके बाद भी जो चर्चा हुई है, उस पर हमने बहुत ही गहराई से सोचा है और जो भी मुद्दे हैं , उनके ऊपर हम अमल करेंगे, मैं इतना ही आश्वासन आपको इस सदन में देना चाहता हूं ।

SHRI N. JOTHI (Tamil Nadu): Sir, I have to seek only one clarification. In para 11 of the Supreme Court judgement, it is clearly stated that the

former Home Minister, Shri Indrajit Gupta, on May 6, 1997, accepted on the floor of Parliament that there are 10 million illegal migrants. The Ministry of Home Affairs, in its reply, to the Supreme Court have admitted that as on 10th August, 1998, there were 10.83 million illegal migrants. Sir, the proposal now seems to be at the hands of the Home Ministry. It seems not to be to the tune of this kind of alarming immigration. Something drastic has to be done. Beyond issuing Identity Cards or setting up of tribunals, something much more needs to be done because as on 1998, there were 10.83 million illegal migrants. The present position, that is, as on 2005, must be much, much more. What comprehensive formula does the Ministry have now to remove this exodus? Please tell us, Sir.

SHRI SHIV RAJ V. PATIL: This is exactly what I was trying to explain to this august House. Whatever we are doing, I have explained. Now, if you have any other ideas, we will welcome those ideas, and we will have no difficulty in acting on the ideas which are acceptable to the *...(Interruptions)...*

SHRI N. JOTHI: Sir, are you aware of the position on that? Is the Home Ministry aware of the gravity of the situation?

SHRI SHIV RAJ V. PATIL: Well, that is for you to judge. I am not sitting on judgement, on your understanding *...(Interruptions)...*

SHRI N. JOTHI: No, I don't *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH TRIVEDI): Mr. Jothi, you have already sought the clarification and the hon. Minister has already replied. *...(Interruptions)...*

SHRI SHIVRAJ V PATIL: That is for you to judge *...(Interruptions)...*

SHRI S. JOTHI: Sir, I am not satisfied with the answer *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH TRIVEDI): That is different *...(Interruptions)...*

SHRI N. JOTHI: If this is the answer *...(Interruptions)...* I don't think *...(Interruptions)...* Is this the answer? *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH TRIVEDI): Thank you, thank you very much *...(Interruptions)...*

2.00 P.M.

SHRI N. JOTHI: If this is the answer *...(Interruptions)...*

SHRI SHIV RAJ V. PATIL: You can say that my answer is not satisfactory, I can say that your question is irrelevant.

उपसभाध्यक्ष (श्री दिनेश त्रिवेदी) : मंत्री महोदय जी, बहुत – बहुत धन्यावाद । Hon. Members, now we take up the next Business of the House which is the Warehousing Corporations (Amendment) Bill; 2005. The time allotted for it is one hour. Dr. Akhilesh Prasad Singh to move the Motion for consideration of the Warehousing Corporations (Amendment) Bill, 2005. Mr. Minister. *...(Interruptions)...*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (DR. AKHILESH PRASAD SINGH): Sir, I beg to move that the Bill further to amend the *...(Interruptions)...*

DR. ALLADI P. RAJKUMAR (Andhra Pradesh): Sir, Special Mentions were to be taken up after it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH TRIVEDI): Special Mentions will be taken up after it. This is what the Chairman has said. *...(Interruptions)...*

DR. ALLADI P. RAJKUMAR. Sir, kindly allow it. *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH TRIVEDI): I appreciate it. But I have to go by the directives of the hon. Chairman. *...(Interruptions)...* My hands are totally tied. Special Mentions will be taken up after this, if this finishes by 2.30 p.m. Mr. Minister.

GOVERNMENT BILLS

The Warehousing Corporations (Amendment) Bill, 2005—Contd.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (DR. AKHILESH PRASAD SINGH): Sir, I beg to move: